

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक:- 21/8/24

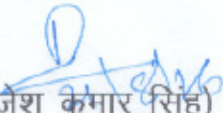
विषय:- महामहिम राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं गणमान्य व्यक्तियों के आगमन पर कराये गये कार्यों के विरुद्ध आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महामहिम राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं गणमान्य व्यक्तियों के आगमन/परिभ्रमण के दौरान हैलीपैड, हैलीपैड के आस-पास बैरिकेडिंग, मंच एवं सेफ हाउस इत्यादि कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है। विभिन्न भवन प्रमंडलों द्वारा विगत समय में गणमान्य व्यक्तियों के आगमन/परिभ्रमण के दौरान कराए गए कार्यों के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवंटन की मांग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि गैर न्यायिक (आवासीय एवं गैर आवासीय) भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन ही उक्त कार्य कराया जाना है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि अति विशिष्ट एवं गणमान्य व्यक्तियों के आगमन/परिभ्रमण के दौरान कराये गये विभिन्न कार्यों का भुगतान कुर्सी क्षेत्रफल के अनुसार अनुरक्षण-मरम्मत मद में उपलब्ध कराए गए आवंटन से विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाय। आवंटन के उपलब्धता के अनुसार भविष्य में अतिरिक्त आवंटन के बिन्दु पर विचार किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

४